

(1) सिविल अपील क्रमांक: 24 / 14

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 24 / 14
संस्थापन दिनांक 21 / 4 / 14

1. गंगाराम, पुत्र-ब्रदीप्रसाद, आयु-85 साल,
निवासी ग्राम बरथरा, परगना गोहद,
हाल-वार्ड नं02, गंज बाजार पशु अस्पताल के सामने,
गोहद, जिला भिण्ड -----अपीलार्थी / वादी

बनाम

1. बाबूराम पुत्र-खुन्नो धानुक, आयु-65 साल,
2. केशव पुत्र-बाबूराम, आयु-43 साल,
निवासीगण ग्राम बरथरा पोष्ट कठंवा हाजी,
परगना गोहद, जिला भिण्ड हाल-एम0पी0स्टेट
वेयर हाउस कार्पोरेशन, अशोक नगर म0प्र0।
3. वासुदेव, पुत्र-बाबूराम, उम्र-38 साल,
4. सुल्तान, पुत्र- बाबूराम, आयु-36 साल,
5. सुदामा, पुत्र- बाबूराम, आयु 33 साल,
निवासी ग्राम बरथरा पोष्ट कठंवा हाजी,
परगना गोहद, जिला भिण्ड। -----प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री एच0एस0शुक्ला अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण द्वारा श्री सुबोध श्रीवास्तव अधिवक्ता।

न्यायालय-श्री मनीष शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद, जिला भिण्ड
द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-19 ए/2008 ई.दी. में पारित निर्णय
दिनांक 16/07/2010 से उत्पन्न सिविल अपील

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 25 जुलाई 2014 को घोषित किया गया)

01- अपीलार्थी / वादी की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील अंतर्गत
धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 1 सी0पी0सी0 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग
2, गोहद के सिविल वाद क्रमांक 19ए/2008 में प्रदत्त निर्णय व डिक्री
दिनांकित 16/07/2010 से विछुब्द होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी /वादी के वाद को निरस्त किया गया है ।

02 प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि उभयपक्ष के मध्य पार्टीबंदी है और उनके साक्षी अपने-अपने पक्ष से हितबद्ध हैं ।

03— विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक-1 का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य का प्लॉट अ, ब, स, द,(गौंडा) पूर्व पश्चिम 60 फीट, उत्तर दक्षिण 83 फीट ग्राम बरथरा परगना गोहद में स्थित है। जिस पर जमींदारीकाल से वादी का आधिपत्य रहा है। गौंडा के निर्माण हेतु वादी ने ग्राम पंचायत से स्वीकृति प्राप्त की है। परन्तु प्रतिवादीगण ने दिनांक 23.06.07 को वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा के क,ख,ग,घ भाग की दक्षिणी सीमा पर नाली की फर्सी निकाल कर अतिक्रमण कर चबूतरा व मड़ैया की दीवाल निर्माण प्रारंभ किया। जिसके परिणामस्वरूप वादी का गौंडा में आने जाने का रास्ता बंद हो गया एवं पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया। निर्माण रोके जाने पर प्रतिवादी ने धमकी दी कि हरिजन एकट लगवा देंगे।

04— अतः उक्त विवादित भाग वादी को सौंपे जाने तथा सार्वजनिक मार्ग से अवरोध हटाये जाने किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न किए जाने के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया।

05— प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण ने अपने जवाब में यह व्यक्त किया है कि विवादित भूमि पर वादी का कब्जा नहीं है। विवादित भूमि शासकीय भूमि है। पूर्व में मकान बने हैं और पश्चिम व उत्तर में शासकीय रास्ता है। वादी के परिवार के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्य रहे हैं। जिनके द्वारा फर्जी तौर पर स्वीकृति प्राप्त की गई है। प्रतिवादी द्वारा कोई नाली नहीं उखाड़ी गई है न कोई मार्ग अवरुद्ध किया गया है। दावा सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

06. प्रतिवादी क्रमांक -2 के विरुद्ध विचारण न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

07— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर बादप्रश्नों की रचना की और विचारण करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत गुणदोषों पर आलोच्य निर्णय पारित कर वादी/अपीलार्थीगण का वाद खारिज किया जिससे व्यथित होकर उक्त अपील पेश की गई।

06— वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील ज्ञापन में यह आधार लिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्र.पी.-2 व 3 के प्रस्तुत किए गये दस्तावेजों एवं प्रतिवादी साक्षी क्र.-4 के कथनों की अनदेखी की गयी है और आलोच्य निर्णय पारित कर त्रुटि की गयी है। वादी/अपीलार्थी की ओर से स्वयं एवं वादी साक्षी क्र.-2 राजाराम, क्रमांक-3 नरेश के कथन कराये जिनपर

भरोसा ना करके अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है । वादी साक्षी गंगाराम ने अपने कथन में व्यक्त किया कि विवादित सर्वे नंबरान राजस्व कागजामें आवादी के नाम से अंकित है, जिससे वादी/अपीलार्थी ने अपना दावा प्रमाणित किया है । वृद्धावस्था की आयु 85 साल होने के कारण वह सर्वे नंबरान के नंबर भूल गया है जो स्वाभाविक है । वादप्रश्न क्रमांक-1 को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था । प्रतिवादी साक्षी क्र.-4 ने प्र.पी.-2 व 3 की पुष्टि की है, जिसके कारण वह अप्रमाणित है । इस कारण वादप्रश्न क्रमांक-2 भी वादी के पक्ष में जाता है ।

07— प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण का आचारण अवैधानिक रूप से अतिक्रमण करने का रहा है, जो भली भांति सिद्ध है, जिसे नजर अंदाज कर भावनात्मक निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादग्रस्त भूमि को शासकीय भूमि मानने में गंभीर त्रुटि की है । जबकि वादी के दस्तावेजों एवं वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा से वादी के स्वामित्व की भूमि अ,ब,स,द का वादग्रस्त भाग क,ख,ग,घ से लगा हुआ दक्षिण व पश्चिम दिशा में सार्वजनिक मार्ग व नाली से संबंधित वादी द्वारा प्रस्तुत प्र.पी.-13 वादग्रस्त भूमि से संबंधित ना होकर वादग्रस्त भूमि के दक्षिण व पश्चिम में लगी है ।

08— प्र.पी.-10 व 11 में गंगाराम के गौडा के दक्षिण पश्चिम में प्र.पी.-18 राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन की पुक्ति नंबर-10 में वादी का प्लॉट {गौडा} होने का उल्लेख किया है, जिससे वादप्रश्न क्रमांक-1 प्रमाणित होता है । प्र.पी.-19 एवं पी.-20 के दस्तावेज वादी/अपीलार्थी एवं प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण के मध्य चली रंजिश से संबंधित हैं, जिनको वादी ने वादपत्र का वाद आधार दस्तावेज मानने में गंभीर त्रुटि की है । ग्राम आवादी का पूर्व का सर्वे नंबर 420, 419, 421, 1107, 1116, 1119 थे, जिनका नवीन रकवा 6.500 हैक्टेयर है । अपीलार्थी/वादी के स्वामित्व का प्राचीन गौडा आवादी की भूमि में स्थित है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया और कोई दस्तावेज पेश ना होने से वाद निरस्त कर दिया । साक्ष्य को नजर-अंदाज कर गलत तरीके से उसका वाद निरस्त किया है । प्रतिवादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी न करने में त्रुटि की है । विचारण न्यायालय ने जिन आधारों पर वाद निरस्त किया है वे सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जावे ।

09— अपीलार्थी/वादी गंगाराम की ओर से आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का आवेदनपत्र पेशकर अभिवचन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य से वादप्रश्न क्रमांक-1, 2, 3, एवं 5 अप्रमाणित मानते हुए वादी का वाद निरस्त किया है, वादग्रस्त भूमि को शासकीय मानकर प्रतिवादीगण को अतिक्रमक माना है, जबकि विवादित भूमि ग्राम आवादी की होकर वादी के स्वामित्व, आधिपत्य की है । जिसके प्रमाण हेतु

नकल खसरा वर्ष 2009-10 के सर्वे नंबर-1088 आवादी की है तथा रीं-नंबरिंग सूची व ग्राम आवादी का अक्स प्रस्तुत किया है, जो उचित निराकरण के लिए सहायक है एवं आवेदनपत्र पेशकर सूची अनुसार दस्तावेजों को ग्राह्य किए जाने का निवेदन किया ।

10- उक्त आवेदनपत्र का प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से मौखिक विरोध कर व्यक्त किया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उसे कोई सहायता प्रदान नहीं करते और मात्र प्रकरण की पेचीदगियों को बढ़ाने के लिए बिना किसी आधार के पेश किए जा रहे हैं, जो निरस्ती योग्य हैं । अतः आवेदनपत्र सब्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया ।

11- उक्त विचाराधीन प्रथम सिविल अपील के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :-

12. 1- क्या अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है ?
- 2- क्या अपील स्वीकार की जाकर वादी/अपीलार्थी का वाद डिकी किए जाने योग्य है ?
- 3- क्या, वादी/अपीलार्थी का आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अंतर्गत दिनांकित-10/8/10 प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों में स्वीकार योग्य हैं ? यदि हां तो प्रभाव ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3

13- अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनर्वाचन न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया । विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया ।

14- सर्वप्रथम आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के विचाराधीन आवेदनपत्र का निराकरण करना उचित व न्याय संगत है, जिसपर वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए यह व्यक्त किया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करते हुए प्रदर्श पी.-20 के दस्तावेज में अंकित भूमि को आवादी के नंबर में मानने में भूल की है, जो भ्रम से हुई है । जिसे स्पष्ट करने के लिए सूची अनुसार दस्तावेज पेश किए गये हैं जो कि प्रकरण के निराकरण के लिए सहायक हैं और उन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उनका आवेदनपत्र स्वीकार कर ग्राह्य किया जावे, जिसका प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत

किए गये लिखित तर्कों में विरोध किया गया है कि जो दस्तोवज वादी/अपीलार्थी ने पेश किए हैं, उसमें स्वत्व आधिपत्य प्रमाणित नहीं होता है और आवादी की भूमि में जिसका कब्जा होता है, वहीं उसका स्वामी होता है इसलिये प्रस्तुत दस्तावेज की प्रकरण में प्रयोज्यता नहीं है और उनसे कोई लाभ नहीं मिलता है और आवेदनपत्र केवल भ्रमित करने के लिए पेश किया है, इसलिये सव्यय निरस्त किया जावे ।

15— आवेदनपत्र के साथ सूची अनुसार पेश किए गये दस्तावेजों पर विचार किया गया जिसके तहत वर्ष 2009/2010 के खसरा की कम्प्यूटरीकृत प्रति सर्व क्रमांक-1088 की पेश की गयी है, जिसमें आवादी {गांव ठान} लिखा हुआ है और स्वत्व के कॉलम नंबर-3 में शासकीय भूमि होने का उल्लेख है, इसके अलावा री-नंबरिंग सूची पेश की गयी है, जिसमें सर्व क्रमांक-419, 420, 421, 1107, 1110, 1119, 1120, 1121 से नया नंबर 1088 बनाया गया और अक्स की प्रति पेश की गयी है । ये सभी दस्तावेज वर्ष 2010 में प्राप्त किए हैं । प्रकरण में मूलतः इस बिन्दु का विवाद है कि क्या जो वादग्रस्त भूमि प्रकट की गयी है, वह आवादी होकर शासकीय है या जमींदारीकाल से उसपर वादी/अपीलार्थी काबिज चला आ रहे हैं क्योंकि उसी से मूल विवाद का निराकरण न्यायिक रीति से होगा ।

16— आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रावधान के तहत अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में कोई पक्षकार मौखिक या दस्तोवजी साक्ष्य पेश कर सकता है, लेकिन उसमें जो शर्त है उसके मुताबिक ऐसे दस्तावेजों को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य करने से इंकार किया हो अथवा पक्षकार उसे सम्यक् तत्परतापूर्वक बरतने के बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में पेश ना कर सका हो । तीसरा अपीलीय न्यायालय के द्वारा ऐसी कोई अपेक्षा की गयी हो और यदि आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है तो उसके कारणों को लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है । वादी/अपीलार्थी ने उक्त दस्तावेज विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निष्कर्ष निकालने में शासकीय भूमि मानकर उसपर अतिक्रामक माना है और वादप्रश्न क्रमांक-1 लगायत-3 एवं 5 को “अप्रमाणित” निर्णीत किया है, जिसके स्पष्टीकरण के उद्देश्यों से दस्तावेज पेश करना बताये गये हैं ।

17— आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के उपबंध के संबंध में माननीय म. प्र. उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **यशोदा देवी एवं अन्य विरुद्ध कन्हैयालाल 2010 भाग-4 एम.पी.एल.जे. पेज-494** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आवेदनपत्रों का निराकरण करते समय मूलतः यह देखा जाना चाहिये कि क्या अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों को अभिलेख पर ग्राह्य किया जाकर न्याय संगत निराकरण किया जा सकता है । तभी उन्हें स्वीकार करने से यदि दस्तावेजों को ग्राह्य किए वगैर उचित न्याय निर्णय किया जा सकता हो, तो ऐसे दस्तावेजों को ग्राह्य करने की आवश्यकता नहीं है । उक्त न्याय दृष्टांत माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ यू.पी. विरुद्ध मनबोधनलाल श्रीवासतव ए.आई.आर.-1957 एस.सी. पेज-912 को अनुसरित करते हुए दिया गया है । इस प्रकरण की जो विषय वस्तु है, उसमें सूची अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है क्योंकि जो दस्तावेज अभिलेख पर हैं और जो विवाद की विषय वस्तु है, उसमें उक्त दस्तावेजों के बगैर भी न्यायोचित निराकरण संभव है । क्योंकि मामला आवादी भूमि से संबंधित है, जिसे वादी जमींदारीकाल से अपने निरंतर आधिपत्य की बताते हुए स्वत्व बताकर आया है ।

18— ऐसे में आवेदनपत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही न्याय दृष्टांत रंगलाल विरुद्ध राधेश्याम 1995 भाग-1 एम.पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट-195 में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि यदि पेश किए जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों से भी मामला स्थिर नहीं हो तो उन्हें प्रस्तुत किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिये । ऐसी स्थिति में वादी/अपीलार्थी का आवेदनपत्र स्वीकार योग्य ना होने से वाद विचार निरस्त किया जाता है ।

19— जहां तक मूल सिविल अपील का प्रश्न है । वादी/अपीलार्थी ने वादपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले नजरी नक्शा को आधार बनाते हुए अ,ब,स,द चिन्हित अपना गौंडा बताया है, जो पूरब-पश्चिम 60 फीट और उत्तर-दक्षिण 83 फीट का बताया है, जिसके दक्षिण तरफ क, ख, ग, घ के रूप में लाल स्याही से विवादित स्थल को चिन्हित किया है, जिसकी क, ख भुजा 03 फीट पूर्व में पश्चिम में 10 फीट चौड़ी और पूरब-पश्चिम लंबाई में 48.7 इंच लंबी बतायी है और गौंडा के पूर्व में मातादीन, वंशी बघेल, पंचम, प्रकाश बरेठा आदि के मकान गौंडा बताये हैं । पश्चिम में सार्वजनिक मार्ग, उत्तर में आम रास्ता और दक्षिण में पक्की नाली, पंचायत का खरंजा रोड बताते हुए उसे विवादित संपत्ति संबोधन करते हुए उसमें जमींदारीकाल से निरंतर प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की जानकारी में आधिपत्य में होकर उसका उपयोग उपभोग करने से उत्तर-पश्चिम के रास्तों से आने आने का उपयोग कर सुखाधिकार बताया है और सन् 1970 के प्रदर्श पी.-2 की पंचायत की निर्माण स्वीकृति प्रदर्श पी.-3 के स्वीकृत नक्शे को अपने वाद का आधार बताते हुए मूलतः स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर निरस्त किया है कि वादी/अपीलार्थी का उसपर जमींदारीकाल से निरंतर आधिपत्य नहीं है और उसे अतिक्रामक माना तथा निर्माण की स्वीकृति को भी अप्रमाणित माना और शासन को अतिक्रमण हटाने की अधिकारिता होना निर्णीत किया है ।

20— अर्थात् प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के आधिपत्य को भी सुरक्षित नहीं किया गया है । इसी अनुरूप वादी/अपीलार्थी ने मौखिक साक्ष्य दी, जिसमें स्वयं वादी गंगाराम वा.सा.-1 ने अभिवचनों के अनुरूप शपथपत्रीय मौखिक परीक्षण की साक्ष्य दी और उसी के अनुरूप उसके साक्षी राजाराम ने वा.सा.-2

के रूप में और नरेश ने वा.सा.-3 के रूप में साक्ष्य दी । खण्डन में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से जो चार साक्षी पेश किए गये, उसमें प्रत्यर्थीगीण बाबूराम ने प्र.सा.-1 के रूप में, जानकीप्रसाद शुक्ल प्र.सा.-2, रमेश प्र.सा.-3 और तत्कालीन पंचायत सचिव भगवतीप्रसाद प्र.सा.-4 की मौखिक साक्ष्य करायी जिसमें उन्होंने विवादित संपत्ति पर वादी/अपीलार्थी का आधिपत्य से इंकार किया तथा प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के मकान मड़ैया और गौंडा का बताये गये वादकारण के पूर्व से अस्तित्व में होना की साक्ष्य दी है । प्रदर्श पी.-2 व पी.-3 से संबंधित साक्षी पंचायत सचिव भगवतीप्रसाद प्र.सा.-4 है, जो सन 1970 से 1975 तक पंचायत सचिव रहा, जिसने प्रदर्श पी.-2 और 3 पर अपने हस्ताक्षर तत्कालीन सरपंच रामचरण लाल के हस्ताक्षर होना भी बताये, जिसकी मृत्यु हो चुकी है । प्रदर्श पी.-2 और 3 को वादी/अपीलार्थी वैधानिक कार्यवाही के तहत स्वीकारोक्ति बताकर आये हैं किन्तु उसके संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी बाबूराम द्वारा प्रदर्श डी.-1 लगायत डी.-3 के आवेदनपत्र देकर मूल रिकॉर्ड की नकलें चाही गयी थी, जिसके संबंध में प्रदर्श डी.-4 का सरपंच द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में यह प्रकट किया कि उन्हें मूल अभिलेख चार्ज में ही प्राप्त नहीं हुआ है ।

21— ऐसे में प्रदर्श पी.- 2 व पी.-3 को केवल 30 वर्ष से अधिक पुराने दस्तावेज होने के आधार पर ग्राह्य योग्य नहीं माना जा सकता है, जबकि उसके संबंध में प्रश्न उत्पन्न है और अभिलेख पर वादी/अपीलार्थी पर इस बिन्दु का प्रमाण भार था कि वह जमींदारीकाल से विवादित संपत्ति पर अपने निरंतर आधिपत्य को प्रमाणित करता । उसके बाबत कोई लेखीय प्रमाण पेश नहीं किया गया है, जबकि राजस्व अभिलेख मुताबिक वह शासकीय भूमि होकर आवादी की अभिनिर्धारित हुई है । जैसा कि स्वयं वादी के प्रस्तुत दस्तावेजों प्रदर्श पी.-4 लगायत पी.-7, प्रदर्श पी.-10 लगायत-पी.-18 और प्रदर्श पी.-20 से परिलक्षित होता है और वादी/अपीलार्थी का प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर स्वत्व अर्जित होने का दावा नहीं है । ऐसे में मूल वाद आधार के संबंध में वादी/अपीलार्थी के पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है ।

22— प्रदर्श पी.-1 लगायत-20 के जो दस्तावेज पेश किए गये हैं, उनमें से प्रदर्श पी.-8 का दस्तावेज प्रत्यर्थी/प्रतिवादी बाबूराम के पुत्र केशव द्वारा संपादित कराया गया विक्रयपत्र है। प्रदर्श पी.-19 दाण्डिक मामले का निर्णय है, जिसमें वादी/अपीलार्थी की दोषमुक्ति भी थी, जिनका इस प्रकरण से प्रत्यक्ष संबंध व सरोकार नहीं है । ऐसे में वादी की मौखिक साक्ष्य के आधार पर विश्लेषण और निराकरण करना होगा । क्योंकि प्रदर्श पी.-4 लगायत- पी.-7 और प्रदर्श पी.-10 लगायत-पी.-18 और प्रदर्श पी.-20 के दस्तावेजों में जो राजस्व न्यायालय में कार्यवाहियां हुई, उसमें शासकीय भूमि मानी गयी और प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के नाली व खरंजा के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गयी है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने शासन की इस संबंध में अधिकारिता को अक्षुण्ण रखा है । लेकिन उससे वादी के आधार प्रमाणित नहीं हो सकते हैं ।

23— प्रदर्श पी. 20 के आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल में ही कार्यवाही संभव थी, जो कि नहीं की गयी है । इसलिये प्रदर्श पी.-20 के आदेश को इस न्यायालय द्वारा निरस्त प्रस्तुत अपील के माध्यम से नहीं किया जा सकता है । जैसा कि वादी/अपीलार्थी की ओर से अंतिम तर्कों में प्रार्थना की गयी है और सार्वजनिक रास्ता या सार्वजनिक जल-मल निकासी के अवरोध को हटाने की कार्यवाही शासन के स्तर पर कभी भी की जा सकती है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **खुमान सिंह एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. एवं अन्य 2008 भाग-1 एम.पी.जे.आर. पेज-286** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि लोक हित वाद प्रस्तुत किए जाने के मंच का उपयोग व्यक्तिगत हित सुलझाने के लिए नहीं किया जा सकता है । जिस प्रकृति का विवाद है, वह लोक हित से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सार्वजनिक खरंजे और नाली पर अतिक्रमण वादी/अपीलार्थी, प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण का बताता है और उसके माध्यम से अपने आधिपत्य की पुष्टि चाहता है, जो संभव नहीं है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय की कंडिका-09 में जो निष्कर्ष दिया है, उसे अनुचित या अवैध या औचित्यहीन नहीं कहा जा सकता है ।

24— वादी/अपीलार्थी ने लिखित अंतिम तर्कों में प्रतिवादी साक्षियों पर इस बात के भी आक्षेप किए हैं कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी बाबूराम प्रतिवादी साक्षी क्रमांक-1 से उनका पुराना विवाद चल रहा है और रंजिश है । प्र.सा.-02 ने भी रंजिश बतायी है और प्रतिवादी साक्षी क्रमांक-2 की यह स्वीकारोक्ति भी आयी है कि उसकी पत्नी व वादी की बहू के बीच सरपंच का चुनाव हुआ था । अर्थात् पार्टी बंदी है । पार्टी बंदी होना प्र.सा.-3 रमेश ने भी माना है, जो एक तरह से स्वीकृत तथ्य है कि उभयपक्ष में पार्टी बंदी भी है और उनके साक्षी भी अपने पक्ष से हिबद्ध हैं । किन्तु यह सुस्थापित विधि है कि सिविल मामलों का निराकरण प्रबल संभावनाओं के संतुलन के आधार पर किया जाता है, ना कि संदेह के आधार पर ऐसे में पार्टी बंदी और हितबद्धता के आधार पर किसी बिन्दु को विश्लेषित नहीं किया जा सकता । बल्कि जहां उभयपक्ष की ओर से लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की जाती है, जैसाकि हस्तगत प्रकरण में भी है, वहां संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना होते हैं । ऐसे में रंजिश या बुराई भलाई या गुटबाजी का बिन्दु गौड हो जाता है । इस संबंध में न्याय दृष्टांत **हस्तमत राय वि० रघुनाथ प्रसाद 1982 एम.आर.सी. जे. पेज-01** अवलोकनीय है ।

25— प्रदर्श पी.-2 व पी.-3 के संबंध में भगवतीप्रसाद प्र.सा.-4 ने हस्ताक्षरों की स्वीकारोक्ति तो की है और उसके द्वारा उक्त दस्तावेज तैयार होना भी माना है, किन्तु उसने ठहराव प्रस्ताव की प्रोसीडिंग अलग बतायी है और उपस्थिति की पंजी अलग बतायी है तथा वह यह तो कहता है कि स्वीकारोक्ति मौका देखकर ही दी जाती है किन्तु प्रदर्श पी.-2 की स्वीकारोक्ति का आधार नहीं माना जा सकता है । क्योंकि जिस तरह के वादी के अभिवचन हैं और जो स्वयं वादी/अपीलार्थी ने वादपत्र के साथ नजरी नक्शा पेश किया

है, उसमें गौंडा खुले प्लॉट के रूप में बताया है । कोई निर्माण नहीं बताया, जबकि निर्माण की स्वीकारोक्ति दिनांक-15/10/1970 को ली गयी थी । ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालना कि प्रदर्श पी.-2 की स्वीकारोक्ति के बाद उसका पालन नहीं किया, ना उसका कोई नवीनीकरण कराया, इसलिये भी बल नहीं रखता है, उचित नहीं है ।

26— वादी/अपीलार्थी विवादित जगह पर अपना कब्जा और बरतना बताता है और गौंडा के रूप में उसका उपयोग बताता है । अर्थात् गौंडा के रूप में किसी भूमि का उपयोग में पशु बांधना, पशुओं या कृषि उपकरण को रखना, गोबर, कंड़ा आदि रखना होता है । स्वयं वादी गंगाराम वा.सा.-1 अपने शपथपत्रीय अभिसाक्ष्य में इसी रूप में कब्जा बताता है कि घूरा, लकड़ी, कंड़ा, हल-बखर वह रखता था इस रूप में आधिपत्य को स्वत्व का आधार नहीं माना जा सकता है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **जुगलकिशोर एवं अन्य विरुद्ध रामनाथ एवं अन्य 1992 जे.एल.जे. पेज-92 में यह** मार्गदर्शित किया गया है कि अकेले प्लॉट पर 12 वर्ष या उससे अधिक अवधि से यदि घूरा, फेंका जाना प्रकट किया जाये तो उससे विधिक कब्जा गठित नहीं होगा और उसके आधार पर प्रतिवादी आधिपत्य द्वारा स्वत्व अर्जन नहीं होता है । हस्तगत प्रकरण में जिस तरह का निष्कर्ष वादी/अपीलार्थी बताता है, वह इसी रूप में है, किन्तु प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर उसने स्वत्व की मांग नहीं की है और उसका कोई वैध स्वत्व हो ऐसा प्रमाण भी नहीं दिया है ऐसे में उसकी मौखिक साक्ष्य निर्बल हो जाती है ।

27— वादी गंगाराम वा.सा.-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में कंडिका-10 में यह स्वीकारोक्ति की है कि उसे विवादित भूमि का सर्वे नंबर मालूम नहीं है और वह विवादित भूमि आवादी के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित होना भी स्वीकार करता है तथा जो उसने आसपास मातादीन, वंशी बघेल आदि के मकान व गौंडा बताये हैं, उन्हें भी वह जमींदारीकाल की भूमि में ना होकर आवादी की भूमि में बताता है तथा राजाराम वा.सा.-2 और नरेश वा.सा.-3 भी अपने प्रतिपरीक्षण में विवादित जगह के पास में प्रत्यर्थी बाबूराम का मकान होना विवादित जगह में उसकी बकरियां आदि बांधना स्वीकार किया है। अर्थात् वादी/अपीलार्थी का आधिपत्य दर्शित नहीं होता है तथा वादी/अपीलार्थी के द्वारा जो वादकारण दिनांक-23/6/2007 का बताया है, वह भी स्थापित नहीं होता है, जिसमें वह विवादित क, ख, ग, घ की दक्षिणी सीमा पर बनी नाली की फर्सी प्रत्यर्थीगण के द्वारा निकालकर अतिक्रमक करके चबूतरा व मडैया पर दीवाल बनाना कहता है ।

28— हालांकि जो दस्तावेज उसके द्वारा पेश किया उसमें प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण का अतिक्रमण व अवरोध पाया गया है, जिसे शासन हटाने को अधिकृत है । उसमें किसी तरह की रोक नहीं लगायी गयी है। लेकिन जो साक्ष्य आयी है, उससे बताये गये वादकारण के पहले से चबूतरा मडैया प्रकट होती है, क्योंकि प्रदर्श पी.-3 के मानचित्र में पूर्व दिशा में मातादीन

वगैरह के मकान के पहले मड़ा दर्शित है और वादी अपीलार्थी को जो प्रदर्श पी. —2 की स्वीकारोक्ति पंचायत द्वारा प्रदान की गयी है, उसमें भी इस बात का साफ उल्लेख किया गया था कि शासकीय भूमि पर कब्जा नहीं किया जायेगा और उसकी निजी भूमि पर उसे अनुमति दी गयी, जिसपर उसने जिस आशय की अनुमति प्राप्त की, उसका पालन नहीं किया । ऐसे में कब्जा संबंधी बिन्दु पर वादी अपीलार्थी की मौखिक साक्ष्य प्रबल नहीं है, जिसे विक्रय का आधार बनाया जा सके । ऐसे में जो लिखित तर्क पेश किए गये हैं । उनमें उठाये बिन्दु और लिये गये आधार विधिक बल नहीं रखते हैं । जहां तक अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उनके द्वारा प्रस्तुत किए गये दस्तावेजों का सही अवलोकन और आंकलन नहीं किया और उससे निर्णय त्रुटिपूर्ण है, वह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वाद आधार प्रमाणित करने में वादी/अपीलार्थी असफल है ।

29— कब्जा संबंधी बिन्दु पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **कमलसिंह विरुद्ध जयराम सिंह 1987 मनीषा पेज-47** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि कब्जा संबंधी निराकरण करते समय केवल कब्जा को नहीं देखा जाना चाहिये । बल्कि विधिपूर्ण आधिपत्य होना चाहिये क्योंकि यदि केवल कब्जा देखा गया तो उससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और **चालाक मुकदमेबाज वास्तविक स्वामी को कब्जा विहीन कर सकता है** । हस्तगत प्रकरण में यह इसलिये लागू किए जाने योग्य है कि विवादित संपत्ति पर वादी/अपीलार्थी का कोई वैध आधिपत्य होने का प्रमाण नहीं है और वह प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के पाये गये अतिक्रमण को आधार बनाकर **चालाकी से शासकीय भूमि प्राप्त करने की मंशा रखता है, जिसकी उसे विधि अनुसार अनुमति नहीं दी जा सकती है** ।

30— यहां यह भी उल्लेखीय है कि जहां आवागी की शासकीय भूमि का विवाद होते हुए भी प्रकरण में शासन को पक्षकार नहीं बनाया गया है और इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय कंडिका-15 में भी निष्कर्ष दिया, जिसपर अपीलार्थी/वादी मौन है और शासन को पक्षकार बनाये जाने पर शासन भूमि के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती थी । इससे वादी/अपीलार्थी का स्वेच्छ हाथों से आना भी परिलक्षित नहीं होता है । ऐसे में उसकी मौखिक साक्ष्य भरोसे योग्य नहीं रह जाती है और प्रतिवादी साक्षियों की उम्र और उनकी वास्तविक तथ्यों के संबंध में जानकारी के अभाव बाबत ली गयी आपत्ति को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है । क्योंकि सुस्थापित विधि मुताबिक वादी पर ही अपने वाद आधारों को प्रमाणित करने का भार होता है और वह प्रतिवादी की किसी भी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत है ।

31— जहां तक सुखाधिकार का प्रश्न उठाया गया है कि प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के अतिक्रमण और निर्माण से गौड़ा जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया, किन्तु वादी/अपीलार्थी ने वैकल्पिक रास्तों का कोई जिक्र नहीं

किया है । जबकि सुखाधिकार उसी स्थिति में प्राप्त होता है, जबकि भूमि दूसरे की हो और उसमें निरंतर आवागमन करके उपयोग किया गया हो तथा वैकल्पिक रास्ता ना हो । ऐसे में सुखाधिकार भी विधिक रूप से अर्जित होना परिलक्षित नहीं होता है ।

32— ऐसी स्थिति में वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील में लिए गये आधार एवं उठाये गये बिन्दु स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते हैं। फलतः प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील निरस्त की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय व प्रदत्त डिक्री की पुष्टि की जाती है।

33— प्रकरण में उत्पन्न परिस्थितियों में उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसका अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या तालिका अनुसार जो भी कम हो जोड़ा जावे।

तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी०आर्य)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड